20वीं बैठक दि० 16/1/2017

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
Inward No. 7111

भोपाल दिनांक 11 02.2017

क्र. एफ 16-10/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर, जिला मुरैना में प्लांट एवं मशीनरी में लगभग रू. 109 करोड़ के पूंजी निवेश से पी.यू. कोटेड फेब्रिक्स (टेक्नीकल टेक्सटाईल) परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव पर विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -

(i) **भूमि आवंटन में रियायत-** 25 एकड भूमि, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर, जिला मुरैना का आवटन ₹ 700 /- प्रति वर्गमीटर (विकास शुल्क सहित) की दर पर किया जावे।

(ii) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 7 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक नीति अंतर्गत गैर टेक्सटाईल इकाईयों को प्रावधानित सुविधा के समान, शर्तों के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

(iii) **प्रवेश कर से छूट-** विशेष टेक्सटाईल पैकेज अंतर्गत प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षो हेतु दी जावे ।

(iv) **ब्याज अनुदान-** विशेष टेक्सटाईल पैकेज अंतर्गत भारत सरकार की टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु टफ स्कीम, (Technology Upgradation Fund Scheme) 2007 अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से दी जावे।

(v) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

(vi) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. **अन्य सुविधाएं-**

(I) **विद्युत टेरिफ में रियायत-** विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत विद्युत टेरिफ में अतिरिक्त विद्युत भार पर रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत दी जावे।

(II) **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता-** तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासन की एमईएस योजना Modular Employable Skills Scheme के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।

3. कम्पनी जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजनाओं को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-10/2016/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 13 02.2017

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
5. कलेक्टर, जिला मुरैना।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनल (ग्वालियर) लि., ग्वालियर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लि., 28, चतुर्थ तल, लक्ष्मी काम्प्लेक्स, एम.आई. रोड, जयपुर-302001, राजस्थान।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग